उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक **चमरु उरॉव वगै0**

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129) **बनाम**

मेसर्स मिनरल्स एवं मिनरल्स लि0

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–09/**2019–20**

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री चमरु उरॉव पिता स्व0 पीपी उरॉव

2 .मो0 शिलो उरॉईन पति–स्व0 सुखदेव उरॉव

3. रोपा उरॉव पिता–स्व0 लच्छु उरॉव

4.' घुरा उरॉव पिता–स्व0 लच्छु उरॉव

5 महेन्द्र कुमार पिता–स्व0 लच्छु उरॉव

6 लाल मोहन उरॉव पिता–स्व0 मंगरा उरॉव

वर्त्तमान पता–रातु थाना–रातु जिला–रॉची

7 मो0 शॉति देवी पति–स्व0 शनिचरवा उरॉव

8 फूलदेव उरॉव पिता–स्व0 खुसिया उरॉव

9 सुरेश उरॉव पिता–स्व0 खुसिया उरॉव

सभी ग्राम–घुघरुपाट पो0–जोकारी थाना–घाघरा जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि **मेसर्स मिनरल्स एवं मिनरल्स लि0**., लोहरदगा जिला– लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया हैं :–

क्रं0	**मौजा**	**थाना सं0**	**खाता सं0**	**प्लॉट सं0**	**रकबा (ए0 में)**
1.	बिमरला	11	10/4	1416	2.52
				1517	1.34½
	कुल				3.34½ ए0

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी घाघरा से स्थलीय जॉच कर तीन बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो निम्नवत हैः–

1 अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बॉक्साईड खनन क्षेत्र के अगल बगल के रैयत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगें।

2 खनन हेतु प्रस्तावित भूमि के चौहदीदारों का कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नही है, परन्तु उनका NOC भी प्राप्त नही है।

3 कम्पनी के द्वारा जहॉ खनन का कार्य किया जाएगा वहा कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार का सामुदायिक हित में Noble Work करने का कोई प्रस्ताव अंचल कार्यालय को प्राप्त नही है।

अंचल अधिकारी, घाघरा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर लगभग 70 छोटे बडे पेड हैं तथा 100 मीटर के अन्दर तीन परिवारों का घर है, जिससे वहाॅ निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थय पर प्रतिकुल असर पडेगा ।

अंचल अधिकारी घाघरा के द्वारा उपरोक्त परिपेक्ष्य में लीज अनुमति नही देने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी घाघरा से प्राप्त जाॅच प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम्पनी के द्वारा रैयतो के सामुदायिक हित में कोई भी Noble Work नही किया गया है और न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई पूरक तथ्य समर्पित किया गया है उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 23.04.22
उपायुक्त,
गुमला

Sd/- 23.04.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.29 12:30:06 +05:30
Location: 192.168.1.49